Dr Vinod Baitha
Deptt of Economics
Marwari college
Darbhanga

Economics D.II HONS Lecture-18

भारत की निर्यात-आयात नीति
EXPORT – IMPORT POLICY OF INDIA

निर्यात तथा आयात से संबंधीत नीति को सामान्यतया व्यापारिक नीति कहा जाता है। यह वास्तव में विदेशी व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप के अंश से संबंधित नीति है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग चार दशक तथा व्यापार नीति संरक्षण और नियमन की रही है तटकर आयोग 1949 ने अपनी रिपोर्ट में 1950 में सुझाव दिया की प्रतिरक्षा और सामरिक महत्व के उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इस आयोग की सिफारीशों के अनुसार 1952 में एक स्थायी तटकर आयोग गठित किया गया। तटकर आयोग आयात निर्यात शुल्कों राशिपातन और उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के विकल्पों पर सुझाव देता रहा है तदनुसार संरक्षण नीति आयात-निर्यात शुल्कों, आयात अभ्यंशों और प्रतिबंधों के माध्यम से लागु की जाती रही है। आयात नीति एवं निर्यात नीति भारत की व्यापार नीति के दो पक्ष है इनके दोनों पक्षों की नीति का अध्ययन आवश्यक है।

भारत की आयात नीति ——— आयात नीति देश व्यापार नीति का अंग है। योजना काल में यद्यपि समय-समय पर आयात प्रक्रिया को उदार बनाया गया है परन्तु व्यापक आधार पर देश की आयात नीति आयात प्रतिस्थापन और आयात प्रतिबंध की रही है। आयात नीति का मार्ग दर्शी सिद्धान्त विकास प्रेरित नीति को बढ़ावा देना था। ताकि देश आत्म निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस नीति के मुख्य लक्षण निम्नलिखित थी।

I. विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए जहाँ तक हो सके कम से कम आयात करना चाहिए।

II. आयात का स्वरूप इस प्रकार बदलना चाहिए कि इससे निर्यात प्रोत्साहन Export-promotion त्वरित किया जा सके इसका उद्देश्य अंततः भुगतान-शेष की प्रतिकुल स्थिति को सुधारना है।

III. ऐसी वस्तुओं के आयात को बढ़ावा देना चाहिए जिसे अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण में सहायता मिले और ऐसी वस्तुओं का आयात जो देश में ही उत्पन्न की जा सकती है या धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए।

प्रारंभिक आयात नीति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थी।

i. संरक्षणात्मक आयात नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रशुल्क और गैरप्रशुल्क माध्यम प्रयुक्त किये गए। भारत में प्रशुल्क माध्यमों के अन्तर्गत आयातों पर सीमा शुल्क लगाए गये आधारित सीमा शुल्क मूल्यानुसार 0·3000 प्रतिशत तक रहे।

ii. भारत में विभिन्न आयातों पर लगाए गए सीमा शुल्क का सामान्यीकरण यद्यपि कठिन है परन्तु यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत में सीमा शुल्क की दरें अत्यन्त ऊँची रही हैं। कई अन्य विकासशील अर्थव्यवस्था में पूँजी वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुओं और माध्यमिक वस्तुओं पर सीमा शुल्क की दरें भारत में अत्यन्त नीची रही हैं।

iii. संरक्षण के गैर प्रशुल्क माध्यमों में आयात लाईसेंस व्यवस्था वास्तविक उपयोग कर्ता नीति और विशिष्ट अभिकरणों के माध्यम से आयात प्रमुख रहे हैं।

iv आयात लाईसेंस व्यवस्था में आयातों को उपभोक्ता वस्तु, पूँजीगत और माध्यमिक वस्तु नामक वर्गों में विभक्त किया गया है।

v. पूँजीगत वस्तुओं को प्रतिबंधित श्रेणी और खुली सामान्य लाईसेंस प्रणाली में रखा गया है।

vi भारत में कई वस्तुएँ कुछ विशेष अभिकरणों के माध्यम से मंगाई जाती है इन अभिकरणों में इन्डियन आयल कारपोरेशन, मिनरल एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, फूड कारपोरेशन ऑफ इन्डिया, कॉटन कारपोरेशन ऑफ इन्डिया और मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन मुख्य हैं उक्त सभी अभिकरण सार्वजनिक क्षेत्र के हैं।

इस प्रकार भारत की आयात नीति की अनेक विशेषताएँ हैं जिनके आधार पर आयात नीति का संचालन किया जाता है।

भारत की निर्यात नीति —— स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह आवश्यक था कि किसी औपनिवेशिक शासन काल में कमजोर हो गयी भारतीय अर्थ व्यवस्था के पुनर्निमाण हेतु विकासोन्मुख नीतियाँ बनायी जाय इस परिप्रेक्ष्य में समग्र नीति निर्यातों को प्रोत्साहित करने की रही है। भारत सरकार के निर्यात नीति को कई चरणों में बाँटा जा सकता है।

1952 से 1956 तक की अवधि में निर्यात की ओर ध्यान नहीं दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप निर्यातों में कमी आती गयी और गैर परम्परागत निर्यातों में कोई वृद्धि नहीं हुई। निर्यात नियंत्रण घरेलू मांग में वृद्धि तथा निर्यातों पर ऊँची दर पर शुल्क इस अवधि में निम्न स्तर के निर्यातों के महत्वपूर्ण कारण हैं।

1956 में रुपये के अवमूल्यन के बाद यह धारणा बनी थी इससे निर्यात में स्वतः वृद्धि होगी। तथा जो कुछ निर्यात रियायतें दी जा रही हैं उन्हें कम कर दिया गया इससे निर्यात में वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और निर्यात रियायतों को शीघ्र ही पुनः लागु करना पड़ा यह स्थिति 1973 तक चली 1973 में तेल संकट के बाद इस विषय में नए सिरे से विचार हुआ यह माना गया कि केवल आयात प्रतिस्थापन से भुगतान शेष की

समस्या का समाधान नहीं हो सकता है इसके लिए निर्यात सम्वर्धन की नीतियाँ लागु करने की आवश्यकता है अत: निर्यातों को व्यापार नीति में उच्च प्राथमिकता दी गयी। इस प्रकार योजना काल में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए जो विभिन्न प्रावधान किये गए वह निम्नलिखित है।

1. निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशुल्क वापसी योजना आरंभ की गयी इसके अनुसार निर्यातकों को घरेलु क्षेत्र से खरीदे गए कच्चे पदार्थों पर सीमा शुल्क के अतिरिक्त जो अन्य भुगतान किये गए यथा, उत्पादन शुल्क, बिक्री व अन्य अप्रत्यक्ष करों की वापसी कर दी जाती है।
2. आगतों के क्रय हेतु प्रदान की जाने वाली इस सहायता नीति को कैश कम्पेन्सेटरी सपोर्ट नामक योजना से भी सुदृढ़ किया गया है।
3. निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों और निर्यातोन्मुख इकाईयों की स्थापना की गयी।
4. स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों जिन्हें निर्यात प्रक्रिया जोन कहा जाता है में अवसंरचनागत सुविधाएँ और वित्तीय सुविधाएं प्रदान की गयी।
5. पैकेजिंग कार्य को उन्नत बनाने, उसके लिए सम्यक कच्चा माल खरीदने और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी हेतु 1966 में इन्डियन इन्स्टीट्युट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई की स्थापना की गयी।
6. विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 20 निर्यात प्रोत्साहन परिषदें कार्यरत हैं, ये विशिष्ट वस्तुओं और वस्तु समूहों के लिए कार्य करती हैं।
7. कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए 1986 में एग्रीकल्चर एन्ड प्रोसेस्ड फुड एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथॉरिटी की स्थापना की गयी।
8. सामुदायिक उत्पाद उद्योगों और उससे सम्बध निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 1972 में मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट अथॉरिटी कोचीन की स्थापना की गयी।

इस प्रकार निर्यात प्रोत्साहन के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं।

1991 से व्यापार नीति में परिवर्तन किया गया है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप व्यापार नीति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए उनमे से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं।

1. नकद मुआवजा सहायता को समाप्त कर दिया गया है।
2. आयात की कार्य प्रणाली को सरल किया गया है आयातों के लिए अब केवल दो लाईसेंस है अग्रिम लाईसेंस और विशेष आयात

आयात लाइसेंस, शेष लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया है।

3. अग्रिम लाइसेंस प्रणाली मजबूत बनाया गया है नई इकाईयों तथा विस्तार अधीन इकाईयों को पूँजीगत तथा अन्य इकाइयों के लिए आयातों के लिए लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है नाकारात्मक सूची को लगातार छोटा किया जा रहा है।

4. निर्यात गृहों तथा व्यापार गृहों को कई मदों में आयात की अनुमति दी गयी है 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के साथ व्यापार गृहों की स्थापना की भी अनुमति दी गयी है।

5. सीमा शुल्क में भारी कटौती की गयी है।

6. केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या को बहुत घटा दिया गया है इसमें अब केवल आठ वस्तुएँ ही है पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, खाद्य तेल, अनाज आदि शामिल है।

7. निर्यात उन्मुख इकाईयों तथा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र को और अधिक सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं।

इस प्रकार भारत की आयात-निर्यात नीति एक स्वतंत्र व्यापार नीति वह व्यापारिक नीति है जिसमें विभिन्न देशों से होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के आयात-तथा निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। विश्व व्यापार संगठन पर जो आधुनिक व्यवस्था आधारित है वह स्वयं स्वतंत्र व्यापार के सिद्धान्त पर आधारित है।